राजस्थान सरकार
आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्रमांकः एफ 5(माडा)/स.स.नि./S.C.A./एसीटीएडी/2015–1639879-89 दिनांकः 24.10.19

अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
एंव पदेन परियोजना अधिकारी (माडा),
जिला परिषद,
सीकर।

विषयः– सम्पर्क सडक निर्माण कार्य की वित्तीय स्वीकृति।
प्रसंगः– आपका पत्रांक 1046–48 दिनांक 20.09.2019 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभागीय पत्र क्रमांक 33117–23 दिनांक 28.08.2019 द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति के क्रम में अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सीकर से निम्नांकित कार्य की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त हुई है, के आधार पर कॉलम संख्या 7 अनुसार एतद् द्वारा वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है:–

कार्यकारी एजेन्सी :– ग्राम पंचायत

(राशि लाखो में)

क.स.	कार्य का नाम	ग्रा.प./पं.स.	प्रशासनिक स्वीकृति		तकनीकी स्वीकृति	
			क्र/दि	राशि	क्र/दि.	राशि
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	बोझावाली ढाणी/सरस डेयरी पं.स. श्रीमाधोपुर तक सम्पर्क सड़क	कोटडी धायलान	33117 28.08.2019	25.02	946–953/ 03.09.2019	25.02

उक्त कार्य पर राशि का व्यय आपके पत्र क्रमांक 475/07.03.2018 के द्वारा अवगत कराई गई बचत राशि 24.02 से होगा। कृपया नियमानुसार कार्य सम्पादित करावें। कार्यकारी एजेन्सी द्वारा स्वीकृत कार्य का सम्पादन निम्नलिखित शर्तो के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाये :–

1. यदि स्वीकृत कार्य अन्य किसी योजना में स्वीकृत/सम्पादित किए जा चुके हो तो अविलम्ब इस विभाग को सूचित किया जावें। दोहरे व्यय के लिए संबंधित पंचायत समिति एवं कार्यकारी एजेन्सी जिम्मेदार होगी।
2. कार्यकारी एजेन्सी एवं तकनीकी स्वीकृति जारीकर्ता अधिकारी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की प्रचलित ग्रामीण कार्य निर्देशिका की शर्तो के अनुसार कार्य का सम्पादन **गुणवत्तापूर्वक** किया जाने हेतु उत्तरदायी होगी।
3. राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यो पर ही तकमीना एवं तकनीकी स्वीकृति अनुसार किया जावे। कार्य पूर्ण होने पर कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र के साथ बचत राशि पुनः विभाग को लोटाई जावे।
4. सार्वजनिक/निर्विवाद भूमि पर ही कार्य कराया जाये।
5. कार्य प्रारंभ करने से पूर्व, प्रगति पर एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटोग्राफ विभाग को प्रेषित किये जावे एवं स्वीकृत कार्य की geo-tagging कर soft copy में comm.tad@gmail.com पर प्रेषित कराना सुनिश्चित करावे।
6. जिला परिषद द्वारा ग्रामीण कार्य निर्देशिका के प्रावधानों के अनुसार कार्यकारी एजेन्सी को राशि हस्तांतरित की जाएगी एवं कार्यो के उपयोगिता प्रमाण–पत्र/कार्य पूर्णता प्रमाण–पत्र समायोजित कर इस कार्यालय को प्रेषित किए जाएगें।
7. कार्य स्थल पर जनजाति विभाग द्वारा निर्माण कार्य का प्रर्दश बोर्ड (Display Board) लगाया जावें।
8. राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं संशोधन 2013 तथा सामान्य लेखा एवं वित्तीय नियम की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य का सम्पादन **गुणवत्तापूर्वक** किया जावें।

9. समय पर निविदाएं आमंत्रित करवाई जावे। कार्य में विलम्ब के कारण यदि लागत में वृद्धि होती है तो कार्यकारी एजेन्सी जिम्मेदार होगी।
10. कार्यों पर स्वीकृत राशि से अधिक व्यय नहीं किया जावें।

(शिवांगी स्वर्णकार)
आयुक्त

क्रमांकः एफ 5(माडा)/स.स.नि./S.C.A./एसीटीएडी/2015–16 39879-89 दिनांकः 24.10.19

प्रतिलिपि –

1. विशिष्ठ सचिव, मा. मंत्री महो. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, सीकर।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सीकर।
5. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा।
6. निदेशक, मोनिटरिंग कार्यालय हाजा।
7. विकास अधिकारी, पंचायत समिति श्रीमाधोपुर, जिला सीकर।
8. कम्प्यूटर शाखा कार्यालय हाजा।
9. अभियांत्रिकी शाखा कार्यालय हाजा।
10. गार्ड फाईल।

अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम)
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
उदयपुर (राज.)